भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1947
31, जुलाई 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

1947. श्री बाबू सिंह कुशवाहाः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि देश के प्रमुख शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है और देश में प्रतिदिन लगभग 1,60,000 टन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न हो रहा है**,** जिसमें से केवल लगभग 25% का ही वैज्ञानिक तरीके से निपटान किया जा रहा है और इसके कारण**,** अधिकांश महानगरों में कचरा निपटान केंद्र भरे हुए हैं**,** जिससे पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट उत्पन्न हो रहा है**;**

(ख) यदि हाँ**,** तो क्या सरकार का एक एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन नीति तैयार करने के लिए समयबद्ध योजना बनाने का विचार है या निकट भविष्य में ऐसी नीति बनाने की योजना बना रही है ताकि अपशिष्ट पृथक्करण को अनिवार्य बनाया जा सके और नगर पालिकाओं की संसाधन क्षमता में वृद्धि की जा सके**;** और

(ग) यदि हाँ**,** तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं**,** तो इसके क्या कारण हैं**?**

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग): भारत सरकार ने 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य शहरों को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) बनाना और देश के शहरी क्षेत्रों में उत्पन्न नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण करना था। इस प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए, स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम-यू) 2.0 की शुरुआत 1 अक्टूबर, 2021 को पाँच वर्षों की अवधि के लिए इस उद्देश्य से की गई है कि 100% स्रोत पृथक्करण, कचरे के डोर-टू-डोर कलेक्शन और अपशिष्ट

के अलग-अलग अंशों के वैज्ञानिक प्रबंधन के माध्यम से सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाया जा सके।

एसबीएम-यू 2.0 के तहत, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपशिष्ट के 100% स्रोत पृथक्करण, कचरे के डोर-टू-डोर कलेक्शन, क्षमता निर्माण पहल, आईईसी और व्यवहारगत परिवर्तन अभियानों के माध्यम से नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का 100% वैज्ञानिक प्रसंस्करण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, देश में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) का वैज्ञानिक प्रसंस्करण 2014 में 16% से बढ़कर 80% हो गया है, अर्थात प्रतिदिन उत्पन्न 1,61,163 टन (टीपीडी) अपशिष्ट में से कुल 1,28,842 टीपीडी अपशिष्ट का प्रसंस्करण किया जा रहा है। पुरानी अपशिष्ट डंपसाइटों सहित अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं का विवरण https://sbmurban.org/swachh-bharat-mission-progess पर देखा जा सकता है।

संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत स्वच्छता राज्य का विषय है और भारतीय संविधान के 74वें संशोधन द्वारा जल एवं स्वच्छता सेवाओं के लिए शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को शक्तियाँ सौंप दी गई हैं। देश के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता परियोजनाओं की योजना बनाना, डिज़ाइन करना, क्रियान्वयन करना और उनका संचालन करना राज्य/यूएलबी की ज़िम्मेदारी है।

राज्यों/यूएलबी को सहयोग प्रदान करने के लिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर नियमावली/प्रक्रिया मानक (एसओपी) साझा करके नीतिगत निदेश, वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के चयन हेतु समय-समय पर विभिन्न परामर्श एवं दिशानिर्देश जारी करता है। यूएलबी/राज्य सरकारों के पास प्रौद्योगिकियों के चयन का विकल्प है, जिससे वे केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन (सीपीएचईईओ) नियमावली और समय-समय पर जारी परामर्शों में उल्लिखित किसी भी प्रमाणित प्रौद्योगिकी का चयन कर सकते हैं।

*****